

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर
निदेशक, (कृ.श्र.) निदेशालय ।
उप श्रमायुक्त भागलपुर ।
श्रम अधीक्षक, सीवान-01/ गोपालगंज ।

पटना, दिनांक- 6.5.19

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0006-श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (विपत्र कोड-26-2230011010006) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च, 2019 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	01-वेतन				11-यात्रा व्यय	13 कार्यालयी व्यय	योग-26-2230.01.101.0006-श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन
		0006.01.01 वेतन	0006.01.03 जीवन यापन भत्ता	0006.01.04 मकान किराया भत्ता	योग-26-2230.01.101.0006.01- वेतन	0006.11.01 यात्रा व्यय	0006.13.01 कार्यालय व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पीठासीन पदा०, श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर	400000	10000	90000	500000	5000	-	505000
2	कृषि श्रमिक निदेशालय	20000	8000	20000	48000	-	-	48000
3	श्रम अधीक्षक, सीवान	30000	10000	48000	88000	-	-	88000
4	उप श्रमायुक्त भागलपुर	-	-	-	0	-	10000	10000
5	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज	30000	10000	46000	86000	-	-	86000
	योग	480000	38000	204000	722000	5000	10000	737000

कुल आवंटित राशि ₹ 7,37,000/- (₹ सात लाख सैंतीस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक- 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
- लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1126/लोक दिनांक-1.2.19 के आलोक में ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. से संबंधित मामलों में वित्त विभाग का परामर्श लिया जाना अभी शेष है, इस कारण से उक्त प्रकार के किसी भी बकाया राशि की निकासी प्रेषित आवंटन से नहीं किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
8. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
16/3/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/बी3-108/18 श्र०सं०

161

पटना, दिनांक

6-3-19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/3/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

* स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक-6/बी3-108/18 श्र०सं०-

161

पटना, दिनांक

6-3-19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/3/19
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।